लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2023 (GCMS 2023/38)	02.02.2023	21.02.2023

अनवान

अरविन्द गर्ग पिता सुरेश चन्द्र गर्ग निवासी 18 गर्ग मोहल्ला नगरी, गांव नगरी, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु एक आवेदन **RTI** पोर्टल पर दिनांक 17.09.2022 को जरिये ऑनलाइन आवेदन क्रमांक 340620797824416 प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./013/2023(सू.अ.)(21.02.2023)/106 दिनांक 02.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.02.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 21.02.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2023 को स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रुप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/19 दिनांक 14.02.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री अरविन्द गर्ग पिता सुरेश चन्द्र गर्ग निवासी 18, गर्ग मोहल्ला नगरी गांव नगरी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ऑनलाईन प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.09.2022 तत्समय **RTI** पोर्टल में **PIO** मैपिंग नहीं होने के कारण वर्तमान में पोर्टल पर उक्त आवेदन को ट्रेस नहीं हो पा रहा हैं।
2. यह कि विभाग द्वारा **RTI** पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है एवं कार्यालय में **RTI** पोर्टल हेतु प्रशिक्षित कार्मिक के अभाव में पोर्टल का सुचारू क्रियान्वन भी नहीं हो पा रहा है।
3. यह कि श्रीमान् के पत्रांक से प्राप्त अपील नोटिस के साथ संलग्न प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन दर्ज कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/36 दिनांक 03.02.2023 से पत्र जारी कर निर्देश प्रदान किया गया है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना यथाशीघ्र सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/19 दिनांक 14.02.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में **RTI** पोर्टल के सुचारू क्रियान्वन के अभाव में अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 17.09.2022 ट्रेस नहीं होना पाया गया हैं। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील पर जवाब/कमेंन्ट्स प्रेषित करने के लिये भेजे गए पत्र के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी का आवेदन दर्ज किया जाकर पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/36 दिनांक 03.02.2023 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रार्थी के आवेदन से वांछित सूचना यथाशीघ्र तैयार कर सीधे ही प्रार्थी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित उक्त जवाब/कमेण्ट्स से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, उचित प्रतीत होता हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित कार्यालय (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़) से स्वयं 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **21.02.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)